कार्यालयः जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़

पत्रांकः 2016–21 /2021–22 दिनांकः 29 मई, 2021

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय / सहायता प्राप्त / वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय
सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 व अन्य समस्त शिक्षा बोर्ड के विद्यालय
जनपद अलीगढ़

विषयः **उ0प्र0 में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त विद्यालयों के कक्षा–6,7,8,9 एवं 11 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित कक्षा–10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्याः 1064 / 15–7–2021–1(20) / 2020टी0सी0 दिनांक 29 मई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जो उ0प्र0 में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त विद्यालयों के कक्षा–6,7,8,9 एवं 11 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित कक्षा–10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 के सम्बन्ध में है। उक्त शासनादेश में जनपद के समस्त शिक्षा बोर्ड के विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 के छात्र / छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के आदेश निर्गत किये गये है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज की कक्षा 10 की परीक्षा को निरस्त करने तथा कक्षा 12 की परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये है।

उक्त शासनादेश दिनांक 29 मई, 2021 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– उक्तवत्

जिला विद्यालय निरीक्षक
अलीगढ़

<u>पृष्ठांकन संख्या व तिथि यथोपरि</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़
2. शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, लखनऊ
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
5. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि आप उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक
अलीगढ़

संख्या–1064 / 15–7–2021–1(20) / 2020टी0सी0

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उ0प्र0, लखनऊ।

3– सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0, प्रयागराज।

4– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

5– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 29 मई, 2021

विषयः– उ0प्र0 में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त विद्यालयों के कक्षा–6, 7, 8, 9 एवं 11 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित कक्षा–10 एवं कक्षा–12 की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 के विषय में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांक–मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 52, दिनांक 28.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–195 / एक–11–2020, दिनांक 24.03.2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत छात्र हित में 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम की कमी की गयी तथा सम्पूर्ण सत्र में ऑनलाइन पठन–पाठन की निरन्तर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुये गत वर्ष की तुलना में परीक्षा केन्द्रों की संख्या में आवश्यक वृद्धि की गयी है। बोर्ड परीक्षा की अवधि गत वर्ष से ही हाईस्कूल के लिए 12 दिवस तथा इण्टरमीडिएट के लिए 15 दिवस कर दी गई है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण सत्र को नियमित करने एवं छात्र हित में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के आदेश संख्या–महानिदेशक / व0वि0–स्कूल शिक्षा / 11064 / 2020–21, दिनांक 23.03.2021 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद अधीन संचालित विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 के समस्त छात्र / छात्राओं को अगली कक्षा में कक्षोन्नति किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। इस ही प्रकार उ0प्र0 में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध / मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालयों के कक्षा–6, 7 एवं 8 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाय।

2. उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ-साथ प्रदेश में संचालित समस्त अन्य शिक्षा बोर्डों के कक्षा-9 एवं 11 के छात्रों को उनके वार्षिक परीक्षाफल के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाय। यदि किसी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा अभी तक सम्पादित नहीं हो पायी है तो उस विद्यालय के छात्रों को वर्ष भर किये गये आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाय। यदि कोई आन्तरिक मूल्यांकन भी उपलब्ध नहीं है तो सामान्य रूप से छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाय। इस सम्बन्ध में यदि सम्बंधित शिक्षा बोर्ड विशेष के कोई अन्यथा आदेश हो तो वह लागू होंगे।
3. उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 को निरस्त किया जाय। कक्षा-10 के छात्रों को आगामी कक्षा में प्रोन्नत किया जाय। प्रोन्नति किये जाने की विस्तृत प्रकिया का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। तदोपरान्त प्रकिया सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।
4. अनुकूल परिस्थिति होने की दशा में उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2021 की कक्षा-12 की बोर्ड परीक्षा माह जुलाई 2020-21 के द्वितीय सप्ताह से कोविड-19 से बचाव के समस्त प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुये आयोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
5. उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2021 की कक्षा-12 की बोर्ड परीक्षा की समयावधि 03 घण्टे के स्थान पर 1 घण्टा 30 मिनट की होगी। प्रश्नपत्रों के हल करने की समयावधि आधी हो जाने के कारण परीक्षार्थियों को जिस किसी प्रश्नपपत्र में यदि 05 प्रश्नों के उत्तर दिये जाने थे, उसके स्थान पर 03 प्रश्नों के उत्तर दिये जाय। इसी लगभग 50 प्रतिशत के अनुपात में छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त विषयों के प्रश्नपत्रों में हल किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या निर्धारित की जाय।
6. उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2021 की कक्षा-12 की बोर्ड परीक्षा में कोरोना संकमण के कारण कोई परीक्षार्थी सम्मिलित नहीं हो पा रहा है, तो उसे आगामी शैक्षणिक सत्र की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाय। परन्तु उनका परीक्षा वर्ष 2021 ही माना जायेगा।
7. उ0प्र0 में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा-6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 में प्रोन्नत के सम्बन्ध में छात्रों/अभिभावकों को यदि कोई शिकायत है तो उनके द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायती-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त समिति तीन दिवसों में शिकायतकर्ता का पक्ष सुनकर प्रकरण का निस्तारण करेगी।

4- उपरोक्त आदेशों का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये नियमित अनुश्रवण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाय। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अपने मण्डल में उक्त व्यवस्था के सूचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

भवदीया,

29.05.2021

(आराधना शुक्ला)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1064(1) / 15–7–2021–1(20) / 2020टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0
6. चेयरमैन, सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली।
7. चेयरमैन, सी.आई.एस.सी.ई., नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
9. निजी सचिव, राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

29.5.2021

(उदय भानु त्रिपाठी)

विशेष सचिव।